राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना
वाद संख्या–76 / 2023
अनिता देवी बनाम् पूनम देवी।

इस वाद की सुनवाई दिनांक–30.04.2024, दिनांक–20.06.2024, दिनांक–11.09.2024 तथा दिनांक–18.12.2025 को की गई, जिसमें वादी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री विकाश कुमार सिंह केवल एक दिन दिनांक–20.06.2024 को उपस्थित हुए, इसके उपरांत वह कभी भी उपस्थित नहीं रहे। प्रतिवादी की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता श्री सियाराम पाण्डेय द्वारा पक्ष रखा गया। **जिला निर्वाचन पदाधिकारी(पंचायत)–सह–जिला पदाधिकारी, समस्तीपुर की ओर से श्री विष्णुदेव मण्डल, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, समस्तीपुर को सत्यापन प्रतिवेदन एवं जिला का पक्ष रखने हेतु प्राधिकृत किया गया।**

वादी द्वारा अपने लिखित वाद–पत्र में अंकित किया है कि प्रतिवादी श्रीमती पूनम देवी द्वारा अपने नामांकन–पत्र में चल एवं अचल संपत्तियों के संबंध में सही ब्योरा अंकित नहीं किया गया है। अतः उनके विरूद्ध बिहार पंचायत राज अधिनियम–2006 की धारा–125(A)(1) एवं (3) के तहत उचित कार्रवाई की जाए। उनके द्वारा अपने वाद–पत्र में अंकित किया गया है कि प्रतिवादी द्वारा अपने अचल संपत्ति के रूप में 10 कठ्ठा कृषि भूमि, शहरी भूमि शून्य तथा पक्का मकान का विवरण अंकित किया गया है। उनके द्वारा अपने शहरी भूमि नामांकन–पत्र में नहीं दर्शायी गई है। उनके द्वारा अंकित किया गया है कि नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना के ज्ञापांक–5 न0वि0 / गठन–37 / 2020–1016, दिनांक–03.03.2021 के अधिसूचित होने पर खाता संख्या–3172, खेसरा संख्या–5824, रकवा–3.706 डिसमील भूमि जो मौजा भेरोखड़ा में अवस्थित था, वह शहरी क्षेत्र में आ गया, परन्तु उनके द्वारा उसका उल्लेख अपने नामांकन–पत्र में नहीं किया है। उनके द्वारा आयोग को बताया गया है कि उक्त भूखण्ड उनके पति अनिल कुमार के नाम पर निबंधित है।

आगे उनके द्वारा यह भी दावा किया गया है कि उनके तथा–कथित पति अनिल कुमार उर्फ अनिल शर्मा, पिता–गणेश शर्मा की अनेकों संपत्ति भेरोखड़ा मौजा, ताजपुर नगर परिषद् में अवस्थित है।

उनके द्वारा यह भी आरोप लगाया गया है कि प्रतिवादी का विवाह किसी जितेन्द्र शर्मा से हुआ था, परन्तु प्रथम पति को तलाक दिये बिना उनके दूसरा विवाह श्री अनिल शर्मा से कर लिया गया। उनके द्वारा अपने वाद–पत्र में यह भी अंकित किया गया है कि हिन्दू विवाह अधिनियम–1955 की धारा–11 के तहत प्रथम पति को तलाक दिये बिना दूसरा विवाह नहीं किया जा सकता।

उनके द्वारा यह भी दावा किया गया है कि उनके द्वितीय पति अनिल शर्मा ने भी दो अन्य शादियाँ की है और इस प्रकार उन्हें कुल तीन पत्नियाँ है। प्रतिवादी ने अपने पति के नाम में अनिल शर्मा का नाम अंकित किया है, जबकि हिन्दू विवाह अधिनियम–1955 के तहत वैध विवाह के बिना

पति के नाम के रूप में वह अनिल शर्मा के नाम अंकित नहीं कर सकतीं, क्योंकि उनके द्वारा पति जितेन्द्र शर्मा को विधिवत् तलाक नहीं दिया गया।

अंत में उनके द्वारा दावा किया गया है कि प्रतिवादी द्वारा अपने विवाह एवं संपत्ति का गलत विवरण विजय प्राप्त करने हेतु अंकित किया गया है, जो भारतीय दंड विधान, 1860 की धारा–193 के तहत दण्डनीय अपराध है। अंत में उनके द्वारा बिहार पंचायत राज अधिनियम–2006 की धारा–125(A)(1) एवं (3) के तहत उचित कार्रवाई का पुनः अनुरोध किया गया है।

प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता श्री सियाराम पाण्डेय द्वारा बताया गया कि उनके मुवक्किल द्वारा वर्ष–2010 एवं 2012 के उपरांत ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि क्रय किया गया है। वर्ष–2021 में पंचायत आम निर्वाचन के समय उनके द्वारा क्रय किये गये भूमियों को ग्रामीण क्षेत्र में दर्शाया गया था, क्योंकि उस समय नगर परिषद् ताजपुर अस्तित्व में नहीं आया था। ग्रामीण क्षेत्र में अवस्थित उनका भूखण्ड नगर परिषद् ताजपुर गठन के साथ ही स्वतः ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र में आ गया। उनके द्वारा आयोग को बताया गया कि भूखण्डों के पैमाईश में हो सकता है कि कुछ अंतर आए, परन्तु यह गलती जान–बुझकर या तथ्य छुपाने के उद्देश्य नहीं किया गया है। आगे उनके द्वारा यह भी बताया गया कि उनका नामांकन–पत्र आम नागरिकों के एवं अन्य प्रत्याशियों के अवलोकन के लिए उपलब्ध था, परन्तु दावा–आपत्ति के अवधि में वादी सहित किसी अन्य व्यक्ति ने कभी कोई आपत्ति दायर नहीं की। उनके द्वारा आयोग को बताया गया कि उनके मुवक्किल ने किसी भी सूचना को नहीं छिपाया गया है, बल्कि वादी केवल उनके प्रमुख निर्वाचित होने से विक्षुब्ध है एवं इसी कारण उनके द्वारा ऐसा वाद लाया गया है।

प्राधिकृत पदाधिकारी–सह–जिल पंचायत राज पदाधिकारी, समस्तीपुर द्वारा प्रतिवेदित किया गया है किः–

''श्रीमती पूनम देवी के विरूद्ध उनके द्वारा अपने पति–पत्नी एवं आश्रितों की परिसंपत्ति की घोषणा के क्रम में शहरी भूमि के कॉलम में कोई भी विवरण अंकित नहीं करने का आरोप लगाया गया, इस संबंध में जाँच करने पर ज्ञात हुआ कि श्रीमती पूनम उेवी की पारिवारिक परिसम्पतियोंमें मौजा–भेराखड़ा में स्थित भूमि वर्तमान में शहरी क्षेत्र अंतर्गत आती है, जिसका सत्यापन जाँच पदाधिकारी अनुमण्डल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, समस्तीपुर को अंचल अधिकारी, ताजपुर के पत्रांक–440, दिनांक–01.06.2024 द्वारा किया गया है। इस संबंध में शहरी भूमि एवं उसका मूल्य के संबंध में अद्योहस्ताक्षरी द्वारा जिला अवर निबंधक, समस्तीपुर से भूमि के मूल्य से संबंधित प्रतिवेदन की माँग की गयी है। उक्त आलोक में जिला अवर निबंधक, समस्तीपुर के पत्रांक–651, दिनांक–26.07.2024 द्वारा MVR सूची उपलब्ध करायी गयी है, जा भवदीय के समक्ष पूर्व की सुनवाई में समर्पित किया जा चुका है। स्थल निरीक्षण में उक्त भूमि, जो वर्तमान में शहरी क्षेत्र में आ गयी है, में कृषि का कार्य होता हुआ पाया गया।''

आयोग द्वारा पाया गया कि वादी श्रीमती अनिता देवी द्वारा वाद दायर करने के उपरांत न तो वह स्वयं उपस्थित रहीं और न ही उनके विद्वान अधिवक्ता उपस्थित रहे, अपवाद स्वरूप केवल सुनवाई के प्रथम तिथि को उनके विद्वान अधिवक्ता उपस्थित रहे थे।

वादी के आरोपों का परीक्षण आयोग स्तर पर किया गया, तो यह पाया गया कि वादी का आरोप दो भागों में विभक्त है। प्रथम भाग में उनके द्वारा यह दावा किया गया है कि प्रतिवादी द्वारा अपने चल एवं अचल संपतियों का सही विवरण अंकित नहीं किया गया है तथा दूसरे भाग में उनके द्वारा दावा किया गया है कि प्रतिवादी द्वारा बिना तलाक दिये दूसरा विवाह कर लिया गया है।

वादी के दूसरे दावें पर विचार करने हेतु आयोग सक्षम प्राधिकार नहीं है, अतः इस पर आयोग स्तर से कोई विचार नहीं किया गया।

वादी के प्रथम दावें पर विचार किया गया, तो यह तथ्य सामने आया कि प्रतिवादी द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में अवस्थित अपने भूखण्डों का विवरण नामांकन–पत्र में अंकित किया गया था। उनके कुछ भूखण्ड नवगठित नगर परिषद् ताजपुर में सम्मिलित हो गये, जिससे उनकी प्रकृति ग्रामीण से बदलकर शहरी हो गयी है, परन्तु संवीक्षा के समय वे क्षेत्र ग्रामीण प्रकृति के थे, अतः प्रतिवादी द्वारा उन्हें कृषि भूमि के अन्तर्गत दर्शाया गया था। प्राधिकृत पदाधिकारी के प्रतिवेदन से यह भी स्पष्ट है कि नगरीय क्षेत्र में शामिल होने के बावजूद उन भूखण्डों पर कृषि कार्य किया जा रहा है। चूँकि वादी के दावें तर्कहीन एवं तथ्यहीन पाये गये, अतएव वादी के अनुरोध को अस्वीकृत किया जाता है।

इस आदेश के साथ इस वाद को निष्पादित किया जाता है।

सभी संबंधित को सूचित कर दिया जाये।
अद्योहस्ताक्षरी द्वारा लेखापित एवं संशोधित।

ह0/–
(डॉ० दीपक प्रसाद)
20.04.2026
राज्य निर्वाचन आयुक्त, बिहार।

ह0/–
(डॉ० दीपक प्रसाद)
20.04.2026
राज्य निर्वाचन आयुक्त, बिहार।

ज्ञापांक–76/2023 1617 पटना, दिनांक 20.4.26

प्रतिलिपि–जिला निर्वाचन पदाधिकारी(नगरपालिका)–सह–जिला पदाधिकारी, **समस्तीपुर**/जिला पंचायत राज पदाधिकारी, **समस्तीपुर** को सूचनार्थ एवं अनुवर्ती कार्रवाई हेतु प्रेषित। जिला पंचायत राज पदाधिकारी, **समस्तीपुर** को आदेश दिया जाता है कि आदेश की प्रति का तामिला वादी एवं प्रतिवादी को 24 घंटे के अन्दर कराते हुए तामिला प्रतिवेदन लौटती डाक/ई–मेल से उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए। साथ ही साथ आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए, कृत कार्रवाई से आयोग को दो सप्ताह के अन्दर अवगत कराने हेतु कार्रवाही प्रतिवेदन प्रेषित किया जाए।

अपर सचिव